भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2541

जिसका उत्तर सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया गया

असम में शहरी अवसंरचना विकास निधि

†2541. श्री गौरव गोगोईः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2024-25 के दौरान शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) के अंतर्गत असम को शहर-वार कुल कितनी निधि आवंटित और जारी की गई है उसका कितना उपयोग किया गया है;

(ख) यूआईडीएफ के अंतर्गत असम में अब तक स्वीकृत, कार्यान्वियनाधीन और पूर्ण हो चुकी शहरी अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या कितनी है और उनकी प्रकृति क्या है;

(ग) असम में यूआईडीएफ निधि के संवितरण और परियोजना कार्यान्वियन में शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, भूमि की उपलब्धता और अंतर-विभागीय समन्वय से संबंधित मुद्दों सहित क्या विशिष्ट चुनौतियां आई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन बाधाओं को दूर करने, असम में शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने और यूआईडीएफ समर्थित परियोजनाओं को समय पर और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): शहरी अवसंरचना विकास कोष (यूआईडीएफ) की कार्यान्वियन एजेंसी, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, असम राज्य के लिए 55.45 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, राज्य से प्राप्त मांगों के आधार पर 12.94 करोड़ रुपये की जुटाई गई राशि संवितरित की गई थी। यूआईडीएफ के अंतर्गत असम राज्य में अब तक स्वीकृत और संवितरित शहरी अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या और प्रकृति के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) और (घ): यूआईडीएफ के अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति के आधार पर (जुटाई गई राशि को छोड़कर) निधियां संवितरित की जाती हैं और परियोजनाएं संबंधित राज्यों के वित्त विभाग के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों जैसी कार्यान्वियन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। असम राज्य में, राज्य स्तरीय कार्यान्वियन एजेंसियां/सक्षम प्राधिकारी परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता की पुष्टि करते हैं।

इसके अलावा, जैसा कि एनएचबी द्वारा सूचित किया गया है, वित्त विभाग, असम द्वारा हितधारकों के लिए बैठकें आयोजित की जाती हैं, जहां राज्य स्तरीय कार्यान्वियन एजेंसियां/विभाग परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हैं। किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में, उसके समाधान हेतु उसे उठाया जाता है। इसके अतिरिक्त, एनएचबी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से यूआईडीएफ के संबंध में जागरूकता सृजन करने के लिए राज्य पदधारियों के लिए आउटरीच कार्यक्रम/प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करता है। यूआईडीएफ के अंतर्गत परियोजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए एनएचबी द्वारा राज्य सरकार के पदधारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

अनुबंध

ट्रेंच I (वित्तीय वर्ष 2023-24)				
				(राशि करोड़ रुपये में)
क्रम सं.	**शहरी स्थानीय निकाय**	**गतिविधि**	**स्वीकृत राशि**	**संवितरित राशि**
1	नागांव नगर पालिका	जल आपूर्ति नेटवर्क (पुनर्वास)	6.95	2.09
2	तिनसुकिया नगर पालिका	क्षेत्र विकास परियोजनाएं (नगर नियोजन)	45.16	13.55
3	डिब्रूगढ़ नगर पालिका	क्षेत्र विकास परियोजनाएं (नगर नियोजन)	3.72	1.11
4	सिलचर नगर पालिका	क्षेत्र विकास परियोजनाएं (नगर नियोजन)	3.23	0.97
5	शिवसागर नगर पालिका	जल आपूर्ति नेटवर्क (नवीन)	46.56	13.96
6	डिब्रूगढ़ नगर पालिका	जल आपूर्ति नेटवर्क (नवीन)	44.97	13.49
7	तेजपुर नगर पालिका	जल आपूर्ति नेटवर्क (नवीन)	60.2	18.06
8	उत्तर लखीमपुर नगर पालिका	जल आपूर्ति नेटवर्क (नवीन)	55.02	16.5

ट्रेंच II (वित्तीय वर्ष 2024-25)				
				(राशि करोड़ रुपये में)
क्रम सं. .	**शहरी स्थानीय निकाय**	**गतिविधि**	**स्वीकृत राशि**	**संवितरित राशि**
1	उत्तर लखीमपुर नगर पालिका	क्षेत्र विकास परियोजनाएं	4.01	1.2
2	डिब्रूगढ़ नगर पालिका	नाले/बरसात के जल का निकास	39.15	11.74
3	शिवसागर नगर पालिका	क्षेत्र विकास परियोजनाएं (विरासत संरक्षण)	12.29	-